

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, प्रयागराज।

पत्र सं०: एफपी / सी०एफ०ओ० / आई-५ / २०२१-२२

दिनांक : अप्रैल, १ २०२१

सेवा में,

प्रो०/प्रबन्धक—

महर्षि विद्या मंदिर सेकेण्ड्री/
सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल
कालिन्दीपुरम्, प्रयागराज

विषय: महर्षि विद्या मंदिर सेकेण्ड्री/सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, कालिन्दीपुरम् प्रयागराज का अग्निसुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से आडिट प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक संख्या—निल

दिनांक:— ०५.०४.२०२१

कृपया आपके पत्रांक— निल, दिनांक ०५.०४.२०२१ के क्रम में प्रश्नगत भवन में स्थापित जीवन रक्षा, प्रिवेंशन एवं फायर प्रोटेशन सिस्टम की स्थापना/क्रियाशीलता का मेरे द्वारा निरीक्षण कराया गया, जिसकी आख्या निम्नवत है:—

- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर इक्सटिंग्यूशर)–भारतीय नामक ब्यूरो के आई०एस०— २१९० के अनुसार कार्यशील दशा में पाये गये जो, आई०एस०आई० मार्क में निम्नवत हैं, ए०बी०सी०—५/६ किग्रा० १० अदद पाया गया। CO₂ (कार्बनडाइ आक्साइड गैस) फायर इक्सटिंग्यूशर ४.५/३.२ किग्रा० ०४ अदद, डी०सी०पी० ५ किग्रा० ०६ अदद कार्यशील दशा में पाया गया।
- भवन में लगे समस्त अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में पाये गये।
- फायर स्टेशन— सिविल लाइन्स इलाहाबाद का मो नं० ९४५४४१८५५७, ९४५४४१८५५८/१०१ मुख्य—मुख्य स्थानों पर अंकित किया जाय।
- एग्जिट साइनेज—सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज स्थापित किये गये हैं।
- निकास मार्ग— भवन में निकास मार्ग मानक के अनुसार स्थापित है।
- भवन में फायर होजरील/हाइड्रेट/फायर एलार्म/स्मोक डिटेक्टर लगाने के लिए निर्देशित किया गया।
- भवन ग्राउण्ड + द्वितीय तल पर निर्मित है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि में सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर अग्निशमन आडिट प्रमाण—पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है—

- प्रबन्धक को निर्देशित किया जाये कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाए जाने हेतु मेन्टीनेस्ट शैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।
- भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टॉफ नियुक्त किया जाये। भवन स्वामी को निर्देशित किया जाता है कि भवन में फायर एलार्म/स्मोक डिटेक्टर लगाया जाय।
- किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग में अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए तथा अविलम्ब पाये गये। त्रुटि का निवारण किया जाय।
- प्रत्येक छ: माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाए।
- वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फॉयर प्रिवेंशन तथा फायर प्रोटेशन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण—पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। इस प्रतिबन्धों के साथ फायर आडिट प्रमाण—पत्र निर्गत किया जाता है।

(आई०एस० मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज